न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा (आर.ए.एस)

खाद्य सुरक्षा परिवाद संख्या 41/2023 **दायर दिनांकः— 03.10.2023**

प्रार्थी/परिवादी **बनाम** **अप्रार्थी/गैरसायल—**

1.खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,बाड़मेर

01.श्री सक्ताराम पुत्र दीपाराम देवासी फर्म मैं0 मॉ भदारीया किराण स्टोर, कल्याणपुर जिला गांव जास्ती त0. कल्याणपुर जिला बालोतरा विक्रेता
02. श्री भाखर राम देवासी पुत्र सुरताराम देवासी फर्म मैं0 मॉ भदारीया किराण स्टोर, कल्याणपुर जिला गांव जास्ती त0. कल्याणपुर जिला बालोतरा
03. श्री नरेन्द्र परिहार पुत्र सत्यनारायण परिहार मैं0. महादेव ट्रेडिग क0. गली नम्बर 03,शिव नगर गली नम्बर 3ए.ओ. /एस.तीसरी पोल महामदिर जोधपुर
04. श्री जिगर पटेल पुत्र मफतलाल, मैं0. स्वागत प्रोडेक्ट प्लोट नं0 145 शिवम एस्टेट आई डी सी छतराल गांधीनगर गुजरात निवासी 37, अभिनंदन सोसायटी आर के अस्पताल के पास कालोल गांधीनगर गुजरात

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :—

1. श्री प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी बाड़मेर उपस्थिति
2. श्री नरेन्द्र परिहार पुत्र सत्यनारायण परिहार मैं0. महादेव ट्रेडिग क0. गली नम्बर 03,शिव नगर गली नम्बर 3ए.ओ./एस.तीसरी पोल महामदिर जोधपुर गैरसायल संख्या 03 स्वयं
3. श्री जिगर पटेल पुत्र मफतलाल, मैं0. स्वागत प्रोडेक्ट प्लोट नं0 145 शिवम एस्टेट आई डी सी छतराल गांधीनगर गुजरात निवासी 37, अभिनंदन सोसायटी आर के अस्पताल के पास कालोल गांधनगर गुजरात की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि श्री अश्विनी कुमार पुत्र श्रीकेश्याम उम्र 62 वर्ष निवासी अजमेर रोड़ जयपुर मों

—:आदेशः—

दिनांकः— 23.02.2024

1. शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक प1 (2) कार्मिक/क—4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर ने अप्रार्थी के विरूद्व एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने (सहकार ब्राण्ड **गाय का घी**) **के 500—500 एमएल के 10 जार लकड़ी की रैंक में रखे थे** आम जनता को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा

नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंधन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटीफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र नोटीफिकेशन की प्रति, माल खरीद की प्रति, बिल असल, फार्म नं. 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा फार्म नं. 6 की प्राप्ति रसीद एवं नमूना मय फार्म नं0 6 की प्राप्ति रसीद । अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीनों भागों की फार्म नं0 6 की पुश्त पर प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र विक्रेता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक **04.07.2023 को 11.15 AM** पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी **मैसर्स मैं0. मॉ भदारीया किराण स्टोर, कल्याणपुर जिला गांव जास्ती त0. कल्याणपुर जिला बालोतरा विक्रेता** पहुंचा। वहां निरीक्षण के द्वारा **गाय का घी के 500 –500 एमएल के** लगभग 10 जार **(सहकार ब्राण्ड गाय का घी)** रखा हुआ था। उस समय मौके पर विक्रेता की हैसियत से जो व्यक्ति उपस्थित हुआ उसे खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय दिया एवं उसका परिचय लिया। विक्रेता ने अपना **नाम श्री सक्ताराम पुत्र दीपाराम देवासी** बताया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता से खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा जो विक्रेता के पास उपलब्ध था। **(सहकार ब्राण्ड गाय का घी)** में मिलावट का संदेह होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता को प्रपत्र 5 अ भरकर दिया ओर बता दिया गया कि उक्त का एफएसएसए के तहत सेम्पल लिया जा रहा है। जिसकी प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न की गई है।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त **2 किलोंग्राम** (सहकार ब्राण्ड **गाय का घी**) वास्ते नमूना जॉच हेतु 500–500 एम एल खरीदी जिसकी कीमत विक्रेता को **1000/–** रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता, गवाहान व खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है।

3. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे सही मानकर विक्रेता एवं गवाहान ने हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन के साथ संलग्न है।

4. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदसुदा **500–500 एमएल** (सहकार ब्राण्ड **गाय का घी**) **के** चार अलग अलग प्लास्टीक डिब्बे में बराबर उसमें प्रत्येक डिब्बे में डालकर एयर टाइट ढक्कनि बन्द किया गया व लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबल पर डीओ के कोड एवं क्रमांक,दिनांक व स्थान दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग भूरे कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ बाड़मेर की हस्ताक्षरषुदा पेपर **स्लिप नं. पी 2154** नियमानुसार चारो नमूना डिब्बे पर निचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार पेपर स्लिप व रेपर पर होते हुए करवाये, गवाह के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना के रेपर पर कोड नम्बर, सिरियल नम्बर, वस्तु का नाम, दिनांक व स्थान अंकित कर अपने हस्ताक्षर किये ओर चारो नमूना भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने जाप्ते में लिया।

5. कार्यालय पहुॅच कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं. 6 की छह प्रतियां तैयार की प्रत्येक पर नमूना सिल लगाई जिससे नमूना सिल किया गया था । एक नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटरकवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विष्लेषक जोधपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सीलबन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बाड़मेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

6. खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अग्रेषण पत्र द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मालूम हुआ कि उनके द्वारा लिया गया **(सहकार ब्राण्ड गाय का घी)** का नमूना सब स्टेण्डर्ड पाया गया है। अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रकरण

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा

तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया । इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद प्रस्तुत किया। **मैसर्स मैं0. मॉ भदारीया किराण स्टोर, कल्याणपुर जिला गांव जास्ती त0. कल्याणपुर जिला बालोतरा** को फर्म से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कहा गया। इस क्रम में मालिक द्वारा आधारकार्ड व फूड लायसेंस की छाया प्रतियां प्रस्तुत की।

7. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने पर , प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को अपना पक्ष स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत करने हेतु विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया ।
8. अप्रार्थी अभियुक्त को उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद में वर्णित तथ्यों को पढ़कर अवगत कराया गया । अप्रार्थी अभियुक्त उपस्थित होकर माफी नामा प्रस्तुत कि एंव प्रकरण निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया।
9. परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट **संख्या एलएच/1856/ एक्ट /2023/1900 दिनांक 14.07.2023** के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अपनी दुकान पर उपयोग में लिया जा रहा मिलावटी **(सहकार ब्राण्ड गाय का घी)** का नमूना जांच रिपोर्ट में सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया है।
10. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) के तहत अमानक पदार्थ बेचने का दोषी है जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है । उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित है । अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत **अप्रार्थी सं 01 सें 04** पर **20000**/–रू अक्षरे **बीस हजार** रू शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ति की राशि **मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर** के नाम जरिये डी0डी0 न्यायालय में अथवा जरिये चालान/नगद से राजकोष में निर्णय दिनांक **23-02-2024** से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।
11. निर्णय आज दिनांक **23-02-2024** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट,बालोतरा

क्रमांक/एडीएम कोर्ट/2024/ 136-141
दिनांक **23.02.2024**

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधी नियंत्रण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,राजस्थान जयपुर
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर।
3. विप्रार्थी 01 श्री सक्ताराम पुत्र दीपाराम देवासी फर्म मैं0 मॉ भदारीया किराण स्टोर, कल्याणपुर जिला गांव जास्ती त0. कल्याणपुर जिला बालोतरा विक्रेता
4. विप्रार्थी 02 श्री भाखर राम देवासी पुत्र सुरताराम देवासी फर्म मैं0 मॉ भदारीया किराण स्टोर, कल्याणपुर जिला गांव जास्ती त0. कल्याणपुर जिला बालोतरा
5. विप्रार्थी 03 श्री नरेन्द्र परिहार पुत्र सत्यनारायण परिहार मैं0. महादेव ट्रेडिग क0. गली नम्बर 03,शिव नगर गली नम्बर 3ए.ओ./एस.तीसरी पोल महामदिर जोधपुर
6. विप्रार्थी 04 श्री जिगर पटेल पुत्र मफतलाल, मैं0. स्वागत प्रोडेक्ट प्लोट नं0 145 शिवम एस्टेट आई डी सी छतराल गांधीनगर गुजरात निवासी 37, अभिनंदन सोसायटी आर के अस्पताल के पास कालोल गांधीनगर गुजरात

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट,बालोतरा

e-Challan

Medical, Health and Family Department
Government of Rajasthan

GRN: **0086047028** Payment Date: **23/02/2024 13:11:34**

Office Name: **Chief Medical & Health Officer, Barmer**
Location: BARMER
Period: 23/02/2024-To-29/02/2024

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0210-04-800-03-00-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि	20000.00
	Commision(-):	0.00
	Total/NetAmount:	**20000.00**

Twenty Thousand Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:

Full Name: **SAKTARAM DEWASI AND OTHERS**	Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :
Pan No.(If Applicable):	City(Pincode): BALOTRA(344022)
Address:V/O JASTI KALYANPUR	Remarks:CASE NO 41/2023 ORDER DATE 23/02/2024 FSSAI CHALLAN DEPOSIT

Payment Details:

		Challan No. -	**0**
Bank:	State Bank Of India	Bank CIN No:	**SBIN8604702823022024**
Date:	23/02/2024 13:11:34	Refrence No:	**CK000SRPO2**

Computer generated copy on : ***23/02/2024*** ***Courtsy :*** ***https://Egras.rajasthan.gov.in***